



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240273
CG-DL-E-15112022-240273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5071]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 5071]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

का.आ. 5291(अ).—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्वारा, श्रीमती रेवती अय्यर, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय बोर्ड को दिनांक 6.8.2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त करती है।

[फा.सं. 7/11/2018-एसी]

चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2022

S.O. 5291(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Smt. Revathy Iyer, Director, Central Board of Reserve Bank of India (RBI) on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) w.e.f. 06.08.2022 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

[F.No 7/11/2018-AC]

CHANDRAGUPTA SHAURYA, Under Secy.